अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

कैंसर-रोधी औषधियों के व्यापार मार्जिन के युक्तिकरण संबंधी एनपीपीए की पहल

A. पहल को समझना

प्रश्न 1. एनपीपीए ने कैंसर की औषधियों को अधिक किफायती बनाने के लिए क्या किया है?

उत्तर: राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) ने 137 निर्दिष्ट गैर-अनुसूचित कैंसर-रोधी औषधियों पर व्यापार मार्जिन 30% निर्धारित किया है। इसका उद्देश्य आपूर्ति श्रृंखला में अत्यधिक मूल्य-वृद्धि को कम करना तथा रोगियों और उनके परिवारों के लिए कैंसर उपचार को अधिक किफायती बनाना है।

प्रश्न 2. व्यापार मार्जिन क्या है?

उत्तर: व्यापार मार्जिन वह अंतर है जो निर्माता द्वारा किसी औषधि को स्टॉकिस्ट या वितरक को बेचने के मूल्य और रोगी से वसूले जाने वाले अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) के बीच होता है, जिसमें जीएसटी शामिल नहीं है।

प्रश्न 3. एनपीपीए ने यह उपाय क्यों शुरू किया है?

उत्तर: कैंसर का उपचार परिवारों पर महत्वपूर्ण वित्तीय बोझ डाल सकता है। एनपीपीए की इस पहल का उद्देश्य निर्माताओं के विक्रय मूल्य और रोगियों द्वारा भुगतान किए जाने वाले एमआरपी के बीच अंतर से संबंधित चिंताओं का समाधान करना है।

प्रश्न 4. संशोधित कीमतें कब से लागू होंगी?

उत्तर: संशोधित मूल्य निर्धारण व्यवस्था 9 नवंबर, 2026 से लागू होगी और अगले आदेश तक प्रभावी रहेगी। निर्माताओं को यह सुनिश्चित करना होगा कि संबंधित औषधियाँ उक्त तारीख से संशोधित कीमतों पर बेची जाएँ।

प्रश्न 5. क्या 30% की सीमा का अर्थ है कि प्रत्येक कैंसर औषधि 30% सस्ती हो जाएगी?

उत्तर: नहीं। 30% की सीमा व्यापार मार्जिन पर लागू होती है, न कि औषधि की कुल कीमत पर। वास्तविक कमी औषधि की मौजूदा कीमत और लागू मूल्य निर्धारण सूत्र पर निर्भर करेगी। विभिन्न ब्रांडों और फॉर्मूलेशनों में कीमतों में अलग-अलग कमी हो सकती है।

B. पहल के अंतर्गत शामिल औषधियाँ

प्रश्न 6. व्यापार मार्जिन की सीमा किन औषधियों पर लागू है?

उत्तर: यह सीमा संबंधित एनपीपीए अधिसूचना की तालिका 'बी' में सूचीबद्ध 137 निर्दिष्ट गैर-अनुसूचित कैंसर-रोधी औषधियों पर लागू है।

प्रश्न 7. क्या ब्रांडेड और जेनेरिक दोनों औषधियाँ शामिल हैं?

उत्तर: हाँ। शामिल फॉर्मूलेशनों के ब्रांडेड और जेनेरिक दोनों संस्करण व्यापार मार्जिन युक्तिकरण संबंधी प्रावधानों के अधीन हैं।

प्रश्न 8. क्या एक ही औषधि के सभी ब्रांडों का एमआरपी समान होगा?

उत्तर: आवश्यक नहीं। अनुमेय एमआरपी निर्माता-से-स्टॉकिस्ट अथवा निर्माता-से-वितरक के लागू मूल्य और अधिसूचना में निर्दिष्ट सूत्र के आधार पर निर्धारित किया जाता है। ब्रांड, शक्ति, खुराक रूप और पैक आकार के अनुसार कीमतें अलग-अलग हो सकती हैं।

प्रश्न 9. क्या यह पहल कैंसर उपचार से संबंधित सभी खर्चों को कवर करती है?

उत्तर: नहीं। व्यापार मार्जिन की सीमा केवल एनपीपीए अधिसूचना में शामिल निर्दिष्ट औषधियों पर लागू होती है। यह कैंसर उपचार से संबंधित प्रत्येक शुल्क पर लागू नहीं होती।

प्रश्न 10. क्या इस पहल से रोगी सहायता कार्यक्रम प्रभावित होंगे?

उत्तर: नहीं। इस पहल से मौजूदा रोगी सहायता कार्यक्रमों के प्रभावित होने की अपेक्षा नहीं है।

C. औषधियों की कीमतों की जाँच

प्रश्न 11. रोगी अपनी औषधि की संशोधित कीमत कैसे जाँच सकते हैं?

उत्तर: रोगी निम्नलिखित माध्यमों से कीमत जाँच सकते हैं:

औषधि के पैक पर मुद्रित एमआरपी।

विक्रेता या अस्पताल द्वारा प्रदर्शित लागू मूल्य सूची।

निर्माता द्वारा उपलब्ध कराई गई संशोधित मूल्य संबंधी जानकारी।

एनपीपीए की वेबसाइट पर प्रकाशित मूल्य संबंधी जानकारी।

फार्मा सही दाम ऐप या पोर्टल, जो उपभोक्ताओं को औषधियों की कीमतें जाँचने में सहायता करता है।

प्रश्न 12. क्या प्रत्येक अस्पताल और फार्मेसी में कीमत समान होगी?

उत्तर: लागू एमआरपी संबंधित फॉर्मूलेशन का अधिकतम खुदरा मूल्य निर्धारित करता है। वाणिज्यिक परिस्थितियों के आधार पर खुदरा और अस्पतालों में वास्तव में वसूली जाने वाली राशि या दी जाने वाली छूट अलग-अलग हो सकती है। रोगियों को लागू एमआरपी और बिल में वसूली गई राशि की जाँच करनी चाहिए।

प्रश्न 13. इस पहल के अंतर्गत अस्पतालों और फार्मेसियों को क्या करना होगा?

उत्तर: अस्पतालों, चिकित्सा संस्थानों, खुदरा विक्रेताओं और डीलरों को लागू मूल्य निर्धारण तथा मूल्य प्रदर्शित करने संबंधी आवश्यकताओं का पालन करना होगा। अधिसूचना में निर्दिष्ट अनुसार अस्पतालों और चिकित्सा संस्थानों को लागू एमआरपी के अनुपालन की निगरानी करनी होगी तथा संशोधित कीमतों को अपनी वेबसाइटों पर प्रमुखता से प्रदर्शित करना होगा।

D. शिकायतें और शिकायत निवारण

प्रश्न 14. यदि रोगी से लागू कीमत से अधिक वसूला जाए तो उसे क्या करना चाहिए?

उत्तर: रोगी फार्मा सही दाम ऐप या पोर्टल के माध्यम से एनपीपीए को मामले की सूचना दे सकता है अथवा संबंधित राज्य औषधि नियंत्रक से संपर्क कर सकता है। सहायक साक्ष्य के रूप में खरीद की रसीद और औषधि की पैकेजिंग सुरक्षित रखें।

प्रश्न 15. रोगी एनपीपीए में शिकायत कैसे दर्ज करा सकता है?

उत्तर: शिकायत निम्नलिखित माध्यमों से प्रस्तुत की जा सकती है:

फार्मा सही दाम: ऐप या वेब पोर्टल।

ईमेल: monitoring-nppa@gov.in

हेल्पलाइन: 1800-11-1255

डाक द्वारा: उप निदेशक, निगरानी, एनपीपीए, तीसरी मंज़िल, YMCA सांस्कृतिक केंद्र भवन, 1 जय सिंह मार्ग, नई दिल्ली - 110001।

रोगियों को पर्चा, खरीद की रसीद तथा औषधि से संबंधित विवरण, जिसमें फॉर्मूलेशन, संरचना, पैक आकार, एमआरपी, निर्माता या विपणक तथा फार्मेसी का विवरण शामिल हो, प्रस्तुत करना चाहिए।